न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर।
अपील संख्याः 118/2012 (जीसीएमएस 2012/00065)

01. देवकीनन्दन पुत्र श्री जगन्नाथ माहेश्वरी निवासी प्लाट नम्बर 233 बिहारी मार्ग, बनीपार्क, जयपुर, तहसील व जिला जयपुर।
02. अंसल प्रोपट्रीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय 115, अंसल भवन, 16 कस्तुरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली हाल कार्यालय 4 तल मंयक ट्रेड सेन्टर स्टेशन रोड़, जरिये ओ.पी.हर्ष अधिकृत प्रतिनिधि

————अपीलार्थी

बनाम

01. मंगलचन्द पुत्र श्री हनुमान,
02. बंशी पुत्र श्री हनुमान समस्त जाति अहीर, निवासी चक बावड़ी, तहसील व जिला जयपुर।
03. रूडा पुत्र झूंथा,
04. गोपाल पुत्र झूंथा,
05. सीताराम पुत्र झूंथा,
06. मदन पुत्र झूंथा,
07. मंगली बेवा नन्दा,
08. भंवरलाल पुत्र नन्दा,
09. ओमप्रकाश पुत्र नन्दा समस्त जाति अहीर, निवासी ढाणी राजावतान नारी का बास, तहसील व जिला जयपुर हाल निवासी महेशवास तहसील आमेर जिला जयपुर।
10. श्रीमति पूनम बेवा रतनकुमार,
11. विनय पुत्र श्री रतनकुमार,
12. पियुष पुत्र श्री रतनकुमार समस्त निवासी प्लाट नम्बर 233 बिहारी मार्ग, बनीपार्क, जयपुर, तहसील व जिला जयपुर।
13. बाबू पुत्र श्री रामदेव,
14. राजू पुत्र श्री रामदेव समस्त जाति अहीर निवासी झोटवाड़ा पंचायत समिति के पीछे, प्लाट नम्बर 4, झोटवाड़ा, तहसील व जिला जयपुर।
15. लाला पुत्र श्री माधो,
16. नन्छू पुत्र श्री माधो,
17. मालीराम पुत्र श्री भैरू,
18. प्रहलाद पुत्र श्री भैरू,
19. कैलाश पुत्र श्री भैरू,
20. मोहरी पत्नी श्री भैरू, समस्त जाति अहीर, निवासी चक बावड़ी, तहसील व जिला जयपुर।
21. भंवर पुत्र श्री नाथू

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

22. गुलाब पुत्र श्री नाथू,
23. नारायण पुत्र श्री नाथू समस्त जाति अहीर, निवासी चक बावड़ी, तहसील व जिला जयपुर।
24. भगवान सहाय पुत्र रामकुंवार,
25. लादू पुत्र रामकुंवार,
26. पोखर पुत्र घीस्या समस्त जाति अहीर, निवासी अहीरों की ढाणी, भुदरपुरा, तहसील व जिला जयपुर।
27. हरि पुत्र घीस्या,
28. रूपनारायण पुत्र घीस्या समस्त जाति अहीर निवासी नारी का बास तहसील व जिला जयपुर।
29. नायब तहसीलदार तहसील व जिला जयपुर।
30. तहसीलदार , तहसील जयपुर जिला जयपुर।

अपील संख्याः 157/2012 (जीसीएमएस 2012/00060)

01. देवकीनन्दन पुत्र श्री जगन्नाथ माहेश्वरी निवासी प्लाट नम्बर 233 बिहारी मार्ग, बनीपार्क, जयपुर, तहसील व जिला जयपुर।
02. अंसल प्रोपट्रीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय 115, अंसल भवन, 16 कस्तुरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली हाल कार्यालय 4 तल मंयक ट्रेड सेन्टर स्टेशन रोड़, जरिये ओ.पी.हर्ष अधिकृत प्रतिनिधि

————अपीलार्थी

बनाम

01. मादू पुत्र सुखा **(मृतक दौराने अपील)**
    - 1/1. लालू पुत्र स्व. श्री मादू,
    - 1/2. नन्दू पुत्र स्व. श्री मादू,
    - 1/3. भैरू पुत्र स्व. श्री मादू,
02. झूँथा पुत्र सुखा **(मृतक दौराने अपील)**
    - 2/1. रूडमल पुत्र स्व. श्री झूँथा,
    - 2/2. गोपाल पुत्र स्व. श्री झूँथा,
    - 2/3. मदन पु स्व. श्री झूँथा,
    - 2/4. सीताराम पुत्र स्व. श्री झूँथा,
    - 2/5. प्रभाती पुत्री स्व. श्री झूँथा,
    - 2/6. गुल्ली पुत्री स्व. श्री झूँथा,
    - 2/7. कमली पुत्री स्व. श्री झूँथा,
    - 2/8. मंगली देवी पत्नी स्व. श्री नन्दा,
    - 2/10 भंवर पुत्र स्व0 श्री नन्दा,
03. हनुमान पुत्र भूरा **(मृतक दौराने अपील)**
    - 3/1. रामेश्वर पुत्र स्व. श्री हनुमान,

सभागीय आयुक्त
जयपुर

3/2. कजोड़ पुत्र स्व. श्री हनुमान,
3/3. लालाराम पुत्र स्व. श्री हनुमान,
3/4. प्रभात पुत्र स्व. श्री हनुमान,
3/5. जगदीश पुत्र स्व. श्री हनुमान,
3/6. बंशी पुत्र स्व. श्री हनुमान,
3/7. मंगलचन्द पुत्र स्व. श्री हनुमान,
3/8. शान्ति पुत्री स्व. श्री हनुमान,
3/9. छोटी पुत्री स्व. श्री हनुमान,
3/10. मोहनी पुत्री स्व. श्री हनुमान,

04. रामकुंवार पुत्र भूरा
05. घीस्या पुत्र गणेश **(मृतक दौराने अपील)**
5/1. पोखर पुत्र स्व. श्री घीस्या,
5/2. हरि पुत्र स्व. श्री घीस्या,
5/3. रूपाराम पुत्र स्व. श्री घीस्या,
5/4. धापूदेवी पुत्री स्व. श्री घीस्या,
5/5. बिदामी देवी पुत्री स्व. श्री घीस्या,
5/6. बंशीदेवी पुत्री स्व. श्री घीस्या,
06. लादू पुत्र गणेश,
07. काना पुत्र गणेश **(मृतक दौराने अपील)**
7/1. रामपाल पुत्र स्व श्री काना,
7/2. नारायणी देवी पुत्री स्व. श्री काना,
7/3. सोनी देवी पुत्री स्व. श्री काना,
08. सेडू पुत्र गणेश,
09. नाथू पुत्र श्येबक्श **(मृतक दौराने अपील)**
9/1. भंवरलाल पुत्र स्व. श्री नाथू,
9/2. गुलाब चन्द पुत्र स्व. श्री नाथू,
9/3. नारायण लाल पुत्र स्व. श्री नाथ, समस्त निवासी मांचवा तहसील व जिला जयपुर।
10. पूनम बेवा रतन कुमार,
11. विनय कुमार पुत्र रतन कुमार जाजू,
12. पियूष पुत्र रतन कुमार जाजू, समस्त जाति महेश्वारी निवासी प्लॉट नम्बर 233, बिहारी मार्ग बनीपार्क जयपुर तहसील व जिला जयपुर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील व जिला जयपुर।

---रेस्पोडेन्ट्स

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय

दिनांक 18.08.2021

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपीले क्रमशः अपील संख्या 118/2012 (जीसीएमएस 2012/00065) अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर (प्रथम) के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.04.2012 के विरूद्ध एवं अपील संख्याः 157/2012 (जीसीएमएस 2012/00060) नामान्तरकरण संख्या 1764 पर तहसीलदार जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.05.2012 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई। दोनों अपीलों में विवादित आराजी एक ही होने के कारण दोनों अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहरराते हुए कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 430 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 431 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 447 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा वाकै ग्राम मांचवा अन्तर्गत तहसील व जिला जयपुर में स्थित है, इस आराजीयात को अपीलार्थी के पिता जगन्नाथ पुत्र सुखलाल जाति माहेश्वरी ने आराजीयात के पूर्व कब्जे काश्तकार व खातेदार टीनेन्ट रामदेव पुत्र बोदू जाति अहीर से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा 4000/– रूपये की एवज में दिनांक 04.04.1969 को क्रय की है तथा आराजीयात का कब्जा क्रेता ने उसी वक्त ले लिया था तथा विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 356 दिनांक 18.03.1971 को अपीलार्थी के पिता के नाम भरा जाकर तस्दीक हुआ तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हुआ, अपीलार्थी के पिता का स्वर्गवास होने के पश्चात् विरासती नामान्तरकरण अपीलार्थी के हक में भरा जाकर तस्दीक हुआ तथा राजस्व रिकार्ड में अपीलार्थी के नाम अमल दरामद हुआ तभी से अपीलार्थी आराजीयात का रिकार्डेड कब्जे काश्तकार व खातेदार टीनेन्ट चला आ रहा है किन्तु इन तथ्यों की बिना विधिवत जांच किये ही तथा इन तथ्यों को इग्नौर करते हुये अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी प्रथम जयपुर ने जो एकपक्षीय निर्णय सादिर किया है, वह निर्णय न्याय व कानून के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने के कारण मंसूख किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अन्तर्गत वर्णित आराजीयात के अन्य 1/5, 1/5 हिस्से के खातेदारान माधू व झूंथा पुत्रान सूखा, हनुमान, रामकुंवार पुत्रान भूरा, घीसा, साधू, काना, सेडू पुत्रान गणेश, नाथू पुत्र श्योबक्स एवं रामदेव पुत्र बोदू जाति अहीर के मध्य आपसी सहमति व आराजीयात का बाहमी फैसले के तहत बंटवारे में रामदेव पुत्र बोदू अहीर के कब्जे व अधिकार में आई थी और रामदेव पुत्र बोदू अहीर ने इस आराजीयात को अपीलार्थी के पिता के हक में प्रतिफल 4000/– रूपये प्राप्त करते हुये बेचान कर दी तथा सभी हिस्सेदारान की सहमति से आराजीयात का बेचान

संभागीय आयुक्त
जयपुर

किया गया है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्टान बाध्य होते हुये भी अधीनस्थ न्यायालय से साज कर अपीलाधीन आदेश पारित करा लिया इन तथ्यो को भी सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इग्नौर करते हुये जो एकपक्षीय निर्णय सादिर किया है, वह एकपक्षीय निर्णय न्याय व कानून के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने के कारण मंसूख किये जाने योग्य है। उन्होने यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय सादिर करने से पूर्व अपीलार्थिया को न तो कोई विधिवत नोटिस ही दिया है और न ही अपीलार्थी की विधिवत कोई तामील ही कराई है और न ही अपीलार्थी को न कोई जवाबदेही और न ही सबूत साक्ष्य व सुनवाई का कोई समुचित अवसर ही प्रदान किया है बल्कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के विरूद्ध दिनांक 11.11.2011 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुये रेस्पोडेन्टान से साझकर जल्दबाजी में अपीलाधीन निर्णय सादिर किया है। ऐसी स्थिति में सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित नहीं होने के कारण मंसूख किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलाधीन निर्णय के अन्तर्गत वर्णित आराजीयात जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र द्वारा क्रय की गई है तथा विक्रय पत्र को केन्सिल कराने के लिए रेस्पोडेन्ट द्वारा किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दे रखी है और न ही उसे केन्सिल कराया गया है, आराजीयात वादग्रस्त को जिला कलक्टर जयपुर द्वारा कृषि भूमि से अकृषि भूमि में कन्वर्जन भी किया जा चुका है तथा मौके पर जमीन की किस्म कृषि भूमि नहीं है, बल्कि आबादी भूमि है, ऐसी भूमि के संबंध में मामले अथवा वाद न तो राजस्व न्यायालय में पेश ही किया जा सकता है और न ही राजस्व न्यायालय को ऐसे प्रकरण सुनने का कोई कानूनन हक व अधिकार है तथा जब तक उक्त आदेश व विक्रय पत्र को चुनौती देकर निरस्त नहीं कराया जाता तब तक राजस्व न्यायालय ऐसे प्रकरणों को न तो सुन सकते है और न ही किसी प्रकार का निर्णय ही सादिर कर सकते है, क्योंकि इस नेचर के मामले राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इन विधिक बिन्दुओ को इग्नौर करते हुये जो अपीलाधीन निर्णय सादिर किया है वह निर्णय कानूनन टिकने योग्य नहीं बल्कि अपास्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलाधीन निर्णय के अन्तर्गत वर्णित आराजीयात दिनांक 04.04.1969 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा क्रय की गई है तभी से अपीलार्थी का पिता आराजीयात का कब्जे काश्तकार व खातेदार टीनेन्ट रहा तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् अपीलार्थी आराजीयात का कब्जे काश्तकार व खातेदार टीनेन्ट चला आ रहा है जिस खातेदारी को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू--राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत निरस्त नहीं किया जा सकता क्योंकि यह लिपिकीय त्रूटि की संज्ञा में नहीं आती है, और धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत केवल लिपिकीय त्रुटियों को ही दुरूस्त कराया जा सकता है और वह भी केवल उभयपक्ष पक्षकारान की सहमति से ही, इस तरह किसी व्यक्ति की खातेदारी इस प्रक्रिया द्वारा विलोपित नहीं की जा सकती और न ही शुद्धी ही

की जा सकती है। उन्होने कथन किया है कि यदि रेस्पोडेन्टान, अपीलार्थी अथवा अपीलार्थी के पिता की खातेदारी से या विक्रय पत्र से असंतुष्ट है तो इन्हें सक्षम न्यायालय में विक्रय पत्र को चुनौती देकर अथवा नियमित वाद प्रस्तुत कर निर्णय कराना चाहिये लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार का अनाधिकृत प्रयोग करते हुये एवं उक्त तथ्यों को इग्नोर करते हुये अपीलाधीन निर्णय सादिर किया जो कि न्याय व कानून के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने के कारण मंसूख किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष शीर्षकीय प्रकरण मंगल पुत्र हनुमान व अन्य बनाम देवकीनन्दन पुत्र जगन्नाथ व अन्य दिनांक 18.12.2008 को प्रस्तुत होने पर अधिनस्थ न्यायालय ने संबंधित तहसीलदार जयपुर से प्रार्थना पत्र जैर दफा 136 भू–राजस्व अधिनियम पर रिपोर्ट चाही जिस पर तहसीलदार ने बिना अपीलार्थी को नोटिस दिये ही तहसीलदार ने चुपचाप अपनी मनमानी ढंग से बिना मौके की जांच किये ही दिनांक 29.11.2011 को अधीनस्थ न्यायालय ने बिना आपत्ति लिये ही व बिना सुने ही दिनांक 27.04.2012 को तुरन्त–फुरन्त अपीलाधीन निर्णय सादिर कर दिया, इससे साफ स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय प्रार्थी हाल रेस्पोडेन्ट से मिलकर व साजपूर्वक इन्हें लाभांस पहूँचाने के उद्धेश्य से अपीलाधीन निर्णय सादिर किया है, ऐसा निर्णय विधिक व न्यायिक निर्णय की संज्ञा में नहीं आने के कारण निर्णय कानूनन टिकने योग्य नहीं बल्कि अपास्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि अप्रार्थी संख्या 8 नाथी पत्नि रामदेव जाति अहीर निवासी झोटवाड़ा तहसील व जिला जयपुर की मृत्यु दिनांक 18.06.2009 को ही चुकी है, इसके कायम मुकामान को रिकार्ड पर लिये बिना ही एवं अप्रार्थी संख्या 8 नाथी पत्नि रामदेव का नाम प्रकरण से हजफ किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक व्यक्ति के विरूद्ध एकपक्षीय निर्णय सादिर किया है, जो कि कानूनन नल एण्ड वोईड है और इस विधिक दोष के कारण सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय न्याय व कानून के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने के कारण मंसूख किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट संख्या 2 ने अपील के तथ्यों को स्वीकार करते हुए कथन किया है उपरोक्त वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 430, 431 व 447 कुल किता 3 कुल रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा भूमि को आराजीयात के पूर्व कब्जे काश्तकार व खातेदार टीनेन्ट रामदेव पुत्र बोदू जाति अहीर ने अपीलार्थी संख्या 1 के पिता जगननाथ पुत्र सुखलाल जाति महेश्वरी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा 4000/–रूपये की एवज में कतई बेचान करते हुए आराजीयात का मौके पर कब्जा क्रेता को दे दिया गया तथा विक्रय पत्र दिनांक 04.04.1969 के आधार पर नायब तहसीलदार कालवाड ने अपीलार्थी संख्या 1 के पिता स्व. श्री जगननाथ पुत्र श्री सुखलाल के नाम ग्राम मांचवा का नामान्तरकरण संख्या 356 तस्दीक किया गया जिसे के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 9 ने दिनांक 18.12.2008 को यानी 37

देर के असाधारण विलम्ब से न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जबकि अपीलार्थी संख्या 1 द्वारा जरिये एम.ओ.यू. के द्वारा दिनांक 26.06.2002 को ही भूमि व उसका कब्जा अपीलार्थी संख्या 2 को दे दिया गया तत्पश्चात अपीलार्थी संख्या 2 के आवेदन पर जिला कलक्टर जयपुर द्वारा उक्त आराजीयात का रूपान्तरण किया गया तथा आदेश दिनांक 21.10.2005 के द्वारा आवासीय योजना हेतु प्रस्तुत नक्शे का अनुमोदन कर दिया गया तथा उसके उपरान्त अपीलार्थी संख्या 2 द्वारा सम्पूर्ण भूमि को विकसित कर रोड़, टेलीफोन, पानी, सीवर लाईन डालकर एम.ओ.यू. की शर्तो के अनुसार अन्य क्रेताओं को विक्रय कर दिया गया तथा उनके द्वारा भौतिक कब्जा प्राप्त कर निमार्ण कर रहना प्रारम्भ कर दिया गया है जिससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मंगलचन्द द्वारा दिया गया शपथ पत्र भी मिथ्या तथ्यों पर आधारित है, एक भूमि जो 37 वर्ष पूर्व रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा विक्रय की जाकर नामान्तरकरण खुलवाया जाकर उस पर सम्पूर्ण रूप से निमार्ण होने की जानकारी उस भूमि के पूर्व खातेदार को ना हो या अन्य सहखातेदारान जो समस्त एक ही परिवार से सम्बन्धित है तथा एक सहखातेदार तो विक्रय पत्र का गवाह भी है, उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट का कथन की उन्हे उक्त नामान्तरकरण की पूर्व में जानकारी नही थी, मिथ्या व सर्वथा हास्यास्पद है किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधि विधान एवं न्यायिक प्रक्रिया के विपरित होने से खारिज योग्य है।

अधिवक्ता अपीलार्थी संख्या 2 ने कथन किया है कि अपीलार्थी संख्या 2 द्वारा खसरा नम्बर 430, 431 व 447 की भूमि का कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त भूमि को कार्यालय जिला कलक्टर जयपुर के आदेश संख्या 3713 दिनांक 13.04.2004 के द्वारा आवासीय भूमि के रूपान्तरित किया गया तथा जिला कलक्टर जयपुर के आदेश संख्या 18बी(20)2003 आर.14866 दिनांक 21.10.2005 के द्वारा आवासीय योजना हेतु प्रस्तुत किय गये नक्शे का अनुमोदन किया गया है। तत्पश्चात् भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ विकसित किया एवं अपीलार्थी संख्या 2 द्वारा उक्त खसरा नम्बर 430, 431 एवं 447 में स्वीकृत कुल 63 प्लॉट्स का क्रेताओं को आवंटन कर दिया जिस पर वर्तमान में क्रेताओं का कब्जा है। उन्होने आगे कथन किया है कि उक्त नामान्तरकरण संख्या 356 विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीक किया गया है तथा उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को रेस्पोडेन्ट द्वारा कैन्सिल कराने के लिये किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नही दी है, ऐसी स्थिति में विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीक किये गये नामान्तरकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त किया जाना विधि विधान वं न्यायिक प्रक्रिया के विपरित होने से अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.04.2012 को एवं

उक्त आदेश दिनांक 27.04.2012 के अनुसरण में स्वीकृत किये गये नामान्तरकरण संख्या 1764 वाके ग्राम मांचवा दिनांक 23.05.2012 को भी निरस्त फरमाया जावें जिससे अपीलार्थी को उचित न्याय राहत मिल सके एवं अपीलार्थी अपने कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात से महरूम न हो सके।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि उक्त वादग्रस्त आराजी के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकण संख्या 356 दिनांक 18.03.1971 को नायब तहसीलदार कालवाड़ जिला जयपुर द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकार किया गया है जिसका जमाबन्दी व अन्य राजस्व रिकार्ड में बहुत पहले ही अमल दरामद हो चुका है तथा उक्त वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट संख्या 1 के पूर्वज जगन्नाथ पुत्र सुखलाल तत्पश्चात् अपीलार्थी कब्जे काश्तकार एवं खातेदार चले हा रहे, उक्त खातेदारी अधिकारों को केवल मात्र प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के माध्यम से निरस्त नही किया जा सकता इसके लिये तो सक्षम न्यायलय में नियमित वाद दायर करके ही अनुतोष पाया जा सकता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही और अपीलान्ट्स को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.04.2012 पारित किया गया है, जो विधि सम्मत प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की दोनों अपीले स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.04.2012 निरस्त किया जाता है तथा उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.04.2012 की पालना में तस्दीक किया गया नामान्तरकरण संख्या 1764 वाके ग्राम मांचवा दिनांक 23.05.2012 को भी निरस्त किया जाता है।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 18.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।